

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: 24(4)न्याय / 2018

जयपुर, दिनांक 11.01.2019

आज्ञा

राजस्थान विधि रचना सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/ सुश्री/ श्रीमती/ डॉ)	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	शिखा जैकब	विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ -2) विभाग, सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
2.	अशोक कुमार सैन	विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
3.	राजेन्द्र भाटिया	विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-6) विभाग, सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर
4.	मोनिका शर्मा	विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर	वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि (विधि रचना प्रकोष्ठ-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर	पदोन्नति पर रिक्त पद पर


 आज्ञा से
 (मधुसूदन शर्मा)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय / 2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
- उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/ कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय / 2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव